

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001
फोन नं (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं (0135) - 2713724, 2712014
संख्या- १७०७/XXV-21/2014 **देहरादून :** दिनांक २९ अक्टूबर, 2014

MOST URGENT

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रत्नाली, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून के पत्र दिनांक 04 जून, 2014 जो की आपको सम्बोधित है की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। प्रार्थी द्वारा प्रकरण माझे सूचना आयोग में अपील के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी

कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृष्ठां संख्या- १७०७/XXV-21/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री हर्ष रत्नाली, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून को उपरोक्त वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी

कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

रोगामें

स्पीड पोस्ट द्वारा

रिटर्निंग ऑफीसर,
05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
जिला निर्वाचन कार्यालय, हरिद्वार,
(उत्तराखण्ड)

दिनांक : 04 जून, 2014

महोदय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्रांक 1665 / 25-14(सू.अ.) / 2014 दिनांक 31 मई, 2014, जो कि प्रार्थी को कल दिनांक 03 जून, 2014 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहे श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन प्रपत्र, शपथ पत्र व अन्य संलग्नकों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रत्याशी द्वारा चुनाव नामांकन शपथ पत्र में कुछ ऐसी जानकारियां चुनाव आयोग के संज्ञान में जानबूझकर नहीं लाई गई हैं, जिनके दस्तावेजी प्रमाण प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। जिनमें कुछ मुख्य जानकारियां इस प्रकार हैं:-

1. (क) श्री रमेश पोखरियाल निशंक को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तराखण्ड शासन, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1 के ज्ञाप संख्या 319/xxxii(1)-2012-01(दो)-14/2011 देहरादूनः दिनांक 19 जून, 2012 के माध्यम से यमुना कालोनी, देहरादून के अंतर्गत स्थित आवास संख्या-'आर-4' का आवटन किया गया है।

(ख) श्री रमेश पोखरियाल निशंक दिनांक 11 सितम्बर, 2011 को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद से लेकर लगभग 29 माह तक सपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अंतर्गत 'सर्किट हाउस ऐनेक्सी', देहरादून में अध्यारित रहे हैं।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी की आपत्ति :

राज्य सम्पत्ति विभाग के उक्तांकित ज्ञाप के बिन्दु 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि-'आवंटित आवास के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक मासिक किराए का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग को करने तथा विद्युत व्यय तथा जल उत्सरण व्यय का भुगतान मीटर रीडिंग के आधार पर सम्बन्धित विभागों को करने का दायित्व प्रदेशन ग्रहीता/आवंटी का होगा। (अनुलग्नक-A)

तदनुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अपने चुनाव नामांकन प्रपत्र के साथ उक्त दोनों सरकारी आवासों से सम्बन्धित- मानक मासिक किराए का भुगतान, विद्युत व जल उत्सरण बिलों के दिनांक 16अप्रैल, 2014 तक अद्यतन भुगतान सम्बन्धी 'नो ड्यूज' अर्थात् 'कोई बकाया नहीं' प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया है। कृपया इस तथ्य का सज्जान लें।

रिटर्निंग
04/06/14

2. प्रश्नगत शपथपत्र के पृष्ठ संख्या-1 पर भाग-क के अंतर्गत क्रमांक-2 में प्रत्याशी द्वारा अपना अपना नाम 01-टिहरी संसदीय क्षेत्र में समाहित 22-विधानसभा मसूरी(सामान्य) निर्वाचन क्षेत्र में भाग सं0 54 के क्रम सं0 761 पर प्रविष्ट होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी पर प्रार्थी की आपत्ति:

उक्त के अतिरिक्त उक्त प्रत्याशी रहे श्री रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द पोखरियाल, मतदाता पहिचान पत्र संख्या UP/02/005/0186412 उत्तराखण्ड में 'गढवाल' संसदीय क्षेत्रान्तर्गत पौड़ी विधानसभा के भाग-110, अनुभाग-2, वार्ड नं० 4, मतदाता सीरियल नं० 379, मतदान केन्द्र- कक्ष संख्या 2, डीएवी इण्टरमीडियेट कॉलेज, पौड़ी के भी मतदाता हैं। दिनांक 07 मई, 2014 को सम्पन्न चुनाव हेतु श्री निशंक को इस मतदान केन्द्र पर भी मतदान हेतु चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पर्ची जारी की गई है। जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग की वेबसाईट से भी की जा सकती है।(अनुलग्नक-B)

3. प्रश्नगत शपथपत्र के पृष्ठ संख्या-2 पर भाग-क के अंतर्गत क्रमांक-3 में प्रत्याशी द्वारा अपना कोई 'ई-मेल आईडी' नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी की आपत्ति :

उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कई अवसरों पर अपनी निम्न ई-मेल आईडी होना कई दस्तावेजों में दर्शाई गई हैं :—

(1) nishankramesh@rediffmail.com (2) nishankramesh@gmail.com (3) dr.nishank@yahoo.co.in

कृपया इसका संज्ञान लें।(अनुलग्नक-**C**)

4. शपथपत्र के पृष्ठ संख्या-6 पर भाग-'क' के अंतर्गत क्रमांक-7 ख में प्रत्याशी द्वारा अपने व आश्रितों के 'स्थावर आस्तियों के ब्यौरे' के बिन्दु-(ii) में 'गैर कृषि भूमि' वाले कॉलम में 'लाग नहीं' होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्द में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी की आपत्ति :

(अ) राजस्व विभाग, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों / साक्ष्यों / सूचनाओं के अनुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक को मुआदेश जिलाधिकारी गढ़वाल के ग्रान्ट संख्या-28/89-90 दिनांक 23 मई, 1990 के अनुसार ग्राम-रेवड़ी, पट्टी-कटुलस्यू, तहसील-श्रीनगर, जिला-पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत खेत नं. 380 मध्ये एक नाली (0.020 है.) श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि (NON 2A ख.खा. सं. 14) रु.15000/- प्रति नाली की दर से तीन नाली आवंटित है और राजस्व अभिलेखों में रु.60/- वार्षिक लगान पर उक्त श्री रमेश पोखरियाल के नाम पर दर्ज है। इस राजस्व भूमि के आवंटन के सापेक्ष श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दिनांक 02 जून, 1990 को भारतीय स्टेट बैंक, पौड़ी गढ़वाल के दो चालानों के माध्यम से क्रमशः रु.15000/- व रु.


Patent 04/06/14

60/- सरकार के पक्ष में भुगतान भी किया गया है, जिसके आधार पर उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक को उक्त राजस्व भूमि आवंटित की गई है व वर्तमान में उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। कृपया इसका संज्ञान लें।
(अनुलग्नक-D)

(ब) राजस्व विभाग, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों/साक्ष्यों/सूचनाओं के अनुसार कु. अरुषी पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक दिनांक 10 मार्च, 2005 से लेकर आज की तिथि तक 'नई चेतना संस्थान', पोखरियाल भवन, कोटद्वार रोड, पौड़ी गढ़वाल नामक अपनी पारिवारिक संस्था की अध्यक्षा हैं। इससे पूर्व दिनांक 06 अप्रैल, 1990 से 10 मार्च, 2005 तक स्वयं श्री रमेश पोखरियाल निशंक अपनी उक्त पारिवारिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें प्रबन्धकारिणी के अधिकांश सदस्य उनके परिजन हैं। श्री रमेश पोखरियाल निशंक की इस पारिवारिक संस्था को तहसील कोटद्वार के अंतर्गत ग्राम-खूनीबड़, पट्टी-मोटाढांक के खसरा नं. 134 मध्ये 0.43एकड़ एवं खाता संख्या 52 के खसरा नं. 133 मध्ये 0.57एकड़ कुल एक एकड़ (20नाली) सरकारी राजस्व भूमि जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के आदेश संख्या-1445 / 7-63(91-92) दिनांक भूलेख 23सितम्बर, 1992 के अनुसार बिना नजराना के रु.1200/-वार्षिक भू-कर आवंटित है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उक्त आवंटित भूमि संबन्धी नियत वार्षिक भू-कर की अदायगी की जा रही है। इस सम्पत्ति का भी कोई उल्लेख प्रश्नगत शपथपत्र में नहीं है। न ही इस संस्था की अन्य चल-अचल सम्पत्तियों का कोई उल्लेख है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक-E)

(स) राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों/साक्ष्यों/सूचनाओं के अनुसार कु. अरुषी पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक 'हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान', शगुन प्लाजा, बाईपास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका हैं। इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत ग्राम-फतेहपुर टाण्डा, माजरी ग्राण्ट के खसरा नं. 248 मि. रकबा 2.510है, खसरा नं. 247 मि. रकबा 0.486है. एवम् खसरा नं. 246 मि. रकबा 1.051है. अर्थात् कुल 4.047हैक्टेयर सरकारी राजस्व भूमि प्रमुख सचिव(राजस्व), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित पत्रांक 253 / 18(1) / 2005 दिनांक 22जुलाई, 2005 के अनुसार निःशुल्क आवंटित है। इस सम्पत्ति का भी कोई उल्लेख प्रश्नगत शपथपत्र में नहीं है। न ही इस संस्था की अन्य चल-अचल सम्पत्तियों का कोई उल्लेख है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक-F)

5. (क) शपथपत्र के पृष्ठ 10 के बिन्दु 10 व पृष्ठ 11 के बिन्दु 11 में श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता व उच्च शैक्षणिक अर्हता- एम.ए., हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल व पीएचडी(मानद) दर्शाई गई है। जबकि तदसंबन्धी विस्तृत विवरण वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है।


04/06/14

उक्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी की आपत्ति :

इस बिन्दु के सापेक्ष न तो उस महाविद्यालय के नाम का उल्लेख है, जहां से प्रत्याशी द्वारा उक्तांकित शिक्षा प्राप्त की गई न ही उस वर्ष का उल्लेख है, जिसमें उल्लिखित पाठ्क्रम पूर्ण किया गया है न ही तत्संबन्धी विषय का कोई उल्लेख है, जबकि शपथपत्र में यह सूचना अंकित की जानी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि हेतु उल्लिखित विश्वविद्यालय से जुलाई, 2013 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी, जिसका कोई भी उत्तर न तो उक्त विश्वविद्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और न ही विभागीय अपीलीय अधिकारी उपलब्ध करवा पाए, वर्तमान में प्रश्नगत प्रकरण केन्द्रीय सूचना आयोग के विचारार्थ / स्तर पर लम्बित है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक-G)

(ख) इसी प्रकार प्रत्याशी द्वारा अपने को पीएचडी(मानद) उपाधिधारक होना दर्शाया गया है किन्तु इस बिन्दु के सापेक्ष न तो विश्वविद्यालय का न ही वर्ष इत्यादि का कोई उल्लेख है, जबकि शपथपत्र में यह सूचना अंकित की जानी आवश्यक है। कृपया इसका संज्ञान लें।

उक्त पांच बिन्दुओं में वर्णित तथ्यों के आलोक में महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्तांकित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रार्थी को उक्तवर्णित आपत्तियों के सापेक्ष आपके समक्ष साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करने की महती कृपा करें व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2005 की धारा 125क 'मिथ्या शपथपत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति' के अंतर्गत उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाकर उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई करने की महती कृपा करें।

प्रसंगवश, प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिनांक 19अप्रैल, 2014 को आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर उक्त प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र / शपथ पत्र इत्यादि की प्रतियां उपलब्ध करवाने का लिखित निवेदन किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में प्रार्थी को इस हेतु नियत 30 दिनों के रथान पर 45 दिनों बाद आपके कार्यालय से सूचना उपलब्ध करवाई गई, जिस कारण प्रार्थी को अपनी आपत्तियां आपके समक्ष दर्ज करवाने में इतना विलम्ब हो गया, कृपया इस तथ्य का भी संज्ञान लें।

सादर,

भवदीय,

(हर्ष रत्नडी)


130/77-कालीदास मार्ग,
देहरादून -248001।

संलग्नक : 30पृष्ठों में साक्ष्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु विनम्र निवेदन सहित:-

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून।

संलग्नक : उक्तानुसार(32पृष्ठों में साक्ष्य)


(हर्ष रत्नडी) 04/06/14

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1,
संख्या-३१७/xxxii(1)-2012-01(दो)-14/2011
देहरादून : दिनांक १९ जून, 2012
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून के अन्तर्गत रित्थ आवास संख्या-आर-4 का आवंटन कब्जा प्राप्त करने की तिथि से डारमेश पोखरियाल 'निशंक', माठपूर्व मुख्यमंत्री के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

1. आवास का आवंटन प्रदेशन ग्रहीता/आवंटी के जीवनकाल अथवा शासन द्वारा अन्यथा आदेश निर्गत किये जाने, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी रहेगा।
2. आवंटित आवास की साज-सज्जा एवं अन्य विकास/अनुरक्षण कार्य नियमानुसार/मानकानुसार राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जायेगा।
3. आवंटित आवास के संबंध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक मार्सिक किराये का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग को करने तथा विद्युत व्यय तथा जल उत्सरण व्यय का भुगतान मीटर रीडिंग के आधार पर संबंधित विभाग को उनका दायित्व प्रदेशन ग्रहीता/आवंटी का होगा।
4. आवंटित आवास में व्यवरित किसी स्थापक, सजावट, उपस्कर या अन्य वर्तु को कोई हानि या क्षति का दायित्व प्रदेशन ग्रहीता/आवंटी पर होगा और उन्हें उस हानि या क्षति के लिए ऐसे प्रतिकर काँ भुगतान करना होगा, जो राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

18/६/११२

(विनय शंकर पाण्डे)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या-३१७ xxxii(1)-2012-01(दो)-14/2011, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- विशेष कार्याधिकारी, सम्बन्धित माठपूर्व मुख्यमंत्री को माठपूर्व मुख्यमंत्री जी के सङ्झानार्थ।
 - 2- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
 - 3- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
 - 4- समस्त निजी सचिव, माठ मुख्यमंत्री/माठमंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
 - 5- समस्त निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 6- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
 - 7- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग / वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, एम०एल०१० ट्राजिट हॉस्टल।
 - 8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 - 9- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय) उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन, देहरादून।
 - 10- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संरक्षण, देहरादून।
 - 11- आवास निरीक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(के०एस० विष्ट)
उप सचिव।

अनुलेखनक -B

अनुरोधकर्ता को सूचना दे संबंधी प्रपत्र
 // कार्यालय लो०सू०अ० / जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल //
 संख्या 559/29-35(6) / १०१२-१३ दिनांक ४ मई, २०१४.

श्री हर्ष रत्नडी,
 130/77 कालीदास मार्ग,
 देहरादून-248001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बहुत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1157/xxv-12 (1-5)/2008 दिनांक 15 मई, 2014 जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित थी का सम्बन्ध प्रहण करें। आप द्वारा वांछित बिन्दुओं संबंधी सूचना निम्नान्त हैं:-

बिन्दु संख्या 2- डॉ० रमेश पोखरियाल निश्क पुत्र श्री पं मानन्द, निवासी- 192 अपर बाजार, पौड़ी की वर्षवार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम की सूचना निम्नवत है-

निर्वाचक नामावली वर्षवार	निर्वाचक नामावली भा० स० व क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता का नाम	आ ^{यु}	फोटो पहचान-पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6
2003	15/507	रमेश	परमानन्द	44	UP/2/005/018641
2006	17/447	रमेश	परमानन्द	41	-
2007	17/431	रमेश	परमानन्द	42	-
2008	17/407	रमेश	परमानन्द	43	UP/02/005/0186412
2009	103/407	रमेश	परमानन्द	44	UP/02/005/0186412
2010	103/387	रमेश	परमानन्द	45	UP/02/005/0186412
2012	106/373	डा. रमेश पोखरियाल निश्क	परमानन्द	47	UP/02/005/0186412
2014	110/379	डा. रमेश पोखरियाल निश्क	परमानन्द	49	UP/02/005/0186412

बिन्दु संख्या 3- में वांछित सूचना हेतु निर्वाचन विधि निर्देशका की जिल्ड 1 के पृष्ठ 46 की छाया सुलभ सन्दर्भ हेतु निःशुल्क सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता :-

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
 पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

O/w २५६/१४
 (नवनीत पाण्डे)

लोक सूचना अधिकारी/
 उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
 पौड़ी-गढ़वाल।

प्रतिलिपि:- अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक 1157/XXV-12 (1-5)/2008 दिनांक 15.5.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

O/w २५६/१४
 (नवनीत पाण्डे)

लोक सूचना अधिकारी/
 उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
 पौड़ी-गढ़वाल।

अनुलेखनक - B

प्रपत्र-10

॥ कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / उपजिलाधिकारी पौड़ी ॥
संख्या ५६ / ४३-लोसू०३०-२०१४ दिनांक पौड़ी जून २, २०१४

सेवा में

श्री हर्ष रत्नौड़ी,
130/77 कालीदास मार्ग,
देहरादून।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप द्वारा वांछित सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि आपके सूचना अधिकार अनुरोध पत्र दिनांक 13-05-2014 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 05-06-2014 को प्राप्त हुआ है को सूचना अधिकार अधिनियम पंजिका के कम संख्या-56/2014 पर नियमानुसार अंकित किया गया है।

2- आपके द्वारा अपने उक्त अनुरोध पत्र में जिन दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, उनका विवरण एवं तत्सम्बन्धित सूचना निम्नवत है। यथा-

बिन्दु संख्या-1

डा० रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द निवासी 192, अपर बाजार, पौड़ी मतदाता पहिचान पत्र संख्या UP/02/005/0186412 मतदाता क्रमांक 379 का नाम 37-पौड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भाग संख्या-110 अपर बाजार वार्ड संख्या-4, मतदान केन्द्र 110 पौड़ी कक्ष संख्या-2 डी०ए०वी० इण्टरमीडिएट कालेज, पौड़ी की मतदाता सूची में सम्मिलित है। डा० रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द को मतदाता पर्ची जारी की गयी है।

बिन्दु संख्या-2

जहाँ तक प्रश्नगत मतदाता क्रमांक के सापेक्ष दिनांक 07 मई, 2014 को प्रयुक्त किये गये मत के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारियों द्वारा जो अभिलेख प्राप्त करवाये जाते हैं वे कोषागार के डबल लॉक में सील्ड कर दिये जाते हैं। अतः अभिलेख सील्ड होने की दशा में इस सम्बन्ध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलीय अधिकारी जिनका पदनाम निम्नवत है, अपील कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी—लोक सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी, गढ़वाल।


(पी०एल०शास्त्री)
लोक सूचना अधिकारी /
उपजिलाधिकारी, बा० पौड़ी।

Chief Electoral Office, Uttarakhand

 AC wise District wiseSelect District

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's Slip No	AC Part No	Section No	Serial No	House No	Name (English)	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show 22	54	2	761	37/1	Ramesh Pokriyal Nishank	रमेश पोखरियाल निशंक	परमा नंद पोखरियाल	54	M	RLA0129585	

Search By Name EPIC No.

Disclaimer: Data on this website can be downloaded and printed but in no case be reproduced and claimed as authentic document. An authentic printed copy can, however, be obtained from CEO's office or the respective office of District Election Officer.
 Website designed and hosted by National Informatics Centre, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

Name of AC :	22 Mussoorie
No :	22 भूसूरी
Ward/Moholla :	54
Voter Serial No :	Vijay Colony Ward No. 7 विजय कालोनी वार्ड नं. 7
House No :	761
Name :	Ramesh Pokhriyal Nishank रमेश पोखरियाल 'निशंक'
Father's/Mother's/ Husband's Name :	Parama Nand Pokhriyal परमा नंद पोखरियाल
Sex :	M
Age :	54
EPIC No :	RLA0129585
Polling Station No and Name	54 New Cantt Road (R.No. 1), Center School Halibadkula No.2 54 न्यू कैन्ट रोड क.नं. 1), केन्द्रीय विद्यालय हालीबडकला नं. 2
Poll Date, Day and Time :	7 May 2014, 7:00 AM TO 6:00 PM 7 मई 2014 (वुधवार), प्रातः 7:00 से सायं 6:00 बजे तक

नोट 1 : यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।

नोट 2 : यह प्रमाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमत्य सेगी।

नोट 3 : यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नहीं है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है, ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

नोट 4 : वोटर स्लिप का अनधिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनधिकृत कब्जा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं आई. पी. सी. के सुसंगत लियमो का उल्लंघन माना जायेगा, जो कारावास या जुमाना अथवा दोनों से दड़नीय हो सकता है।

नोट 5 : मतदेय स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा(स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है।

District Electoral Office, Dehradun

Search District wise
Type

Select District 12 - Pauri Garhwal

AC wise

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's AC Part	Section	Serial	House Slip No	Name (English)	Father/Husband Name	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show 37	110	1	379	192	Dr Ramesh Pokhriyal Nishank	डा. रमेश पोखरियाल निशंक	परमानन्द	49	M	UP/02/005/0186412	

Search By Name EPIC No.

National dr ramesh

Search

Disclaimer: Data on this website can be downloaded and printed but in no case be reproduced and claimed as authentic document. An authentic printed copy can, however, be obtained from CEO's office or the respective office of District Election Officer.
Website designed and hosted by National Informatics Centre, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

Name of AC :	37 Pauni
	37 पौड़ी
Ward/Moholla :	110
	Upar Bazar W. No. 4
Voter Serial No :	अपर बाजार वार्ड नं. 4
House No :	379
Name :	192
Father's/Mother's/ Husband's Name :	Dr Ramesh Pokhriyal Nishank डा. रमेश पोखरियाल निशंक
Sex :	Paramann
Age :	परमानन्द
EPIC No :	M
Polling Station No and Name :	49 UP/02/005/0186412
Poll Date, Day and Time :	110 Papri R.N. 2.V. Intermediate Collage 110 पौड़ी क.सं. 2, डी.ए.वी. इंटरमीडिएट कालेज
	7 May 2014, 7:00 AM TO 6:00 PM 7 मई 2014 (बुधवार), प्रातः 7:00 से सायं 6:00 बजे तक

नोट 1 : यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।

नोट 2 : यह प्रमाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमन्य होगी।

नोट 3 : यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नहीं है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है, ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधिवत अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

नोट 4 : वोटर स्लिप का अनपिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनपिकृत कद्दा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं आइ. पी. सी. के सुसंगत नियमों का उल्लंघन मात्रा जायेगा, जो कारबास या जुमाना अथवा दोनों से दड़तीय हो सकता है।

नोट 5 : मतदेय स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा (स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है।

PROFORMA

Annexure

Name	DR. RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'
Sex	Male
Date of Birth	15 th August, 1959
Place of Birth	Village & P.O.- Pinani, Pauri Gahrwal, Uttarakhand
Nationality	Indian
Address	37/1, Vijay Colony, Rabindranath Tagore Marg, Dehradun(Uttarakhand) Tel : 0135-2740104, 09837543339 e-mail : nishankramesh@gmail.com
Religion	Hindu
Category	General
Field of Activity	Literature, Journalism, Social Work, Politics and several creative works
Profession/ Occupation	a) Chief Editor, "Seemant Vaarta" Daily b) Minister of Health, Family Welfare, Science & Technology and Languages, Govt. of Uttarakhand
Padma Award for which name is recommended	'PADMA SHREE'
Padma Award conferred, if any, in the past	None

डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'

एक परिचय

नाम	- डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'
पिता का नाम	- स्वर्गीय श्री परमानन्द पोखरियाल
माता का नाम	- स्वर्गीय श्रीमती बिश्वेस्वरी देवी
जन्मतिथि	- १५ अगस्त १९६५६
जन्मस्थान	- ग्राम-पिनानी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
राष्ट्रीयता	- भारतीय
पता	- ३७/१ विजय कॉलोनी रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग देहरादून (उत्तराखण्ड) २४८००९ ०९३५-२५३१५३३, २७५५८८८
दूरभाष	- dr.nishank@yahoo.co.in, nishankramesh@gmail.com
ई-मेल	
धर्म	- हिन्दू (ब्राह्मण)
वर्ग	- सामान्य
सम्प्रति	- मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
कार्य क्षेत्र	- साहित्य, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, राजनीति और अन्य रचनात्मक कार्य

— चिरप्रतिष्ठित लोकसुवर्त्तनादेवादि / राजसंघ उपरिक्षेप भूमध्ये 2
सहस्राद्धि . शासना ग्रन्थाम्

संस्कृत ४३ / २०१८ :-

प्र० ४५८ छठे हैं रत्न की निधानी 130/77 आलोदास मार्गदेवताओं
 जापके छठा सुचना छातिकार छातिभिप्रे के लहर-वाही गयी
 सुचना विन्दुवार सिंहतरता १९

वाहिला छोला के सारगी 60.00 रुपये के लिए पर
आवश्यक है। वस्त्रावजो की जगह व इन नियमों पर वे
उपर्युक्त कानून के विवरान्ति राजस्व उपचारित्व लापता
मी नहीं है, अर्थात् ये वास्त्र के N.O. 2.A राज. दार. 4. 14
के दर्जे 10(4) में दर्ज 1912 के अनुद्धरण दी गई है,

विद्युति. ३. — उपरा—गुरु अमीरात्मक से श्री संजय, पोरकार्यालय कदाचन उपरांत
— विद्युति वाली कलाकार से वर्णित है, पदाधिकारी के उपरा

में अर्थ सचना विभाग में नहीं है
विभाग में अर्थ पर किसी एक कास्ट्रो का बोर्ड विभाग नहीं है
अर्थ अपेक्षा पर बंगे है.

विद्युतः - उपर्युक्त ६०-७५ वायुमोहनीय विद्युति स्थानादिवद्वये
विद्युति विद्युति विद्युति विद्युति विद्युति विद्युति विद्युति विद्युति

आंवाली कुम्हे मुख का सरलरो पर्याप्त 15-3/20 फूट
पिछले - मुख उपर्योग सरलरो असरारो पर्याप्त होते कामराथ में नहीं
पर्याप्त होते कामराथ में नहीं

प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह
संस्कृत-ब्राह्मण-वेद-विष्णु-महाभागी
राजस्थान के लोकगीतों का संग्रह
लोकगीत 1 राजस्थान
लोकगीत 2
4/9/113 विष्णु

ପ୍ରକାଶକ ମାଲିନୀ

D. P. ~~Chinnappa~~

(P. S.)
Parrot
Singing
Tui
Dist. Central

(1)

कामियाम लोक संघाधिकारी / राजस्थ उपरिषद महापूर्ण 2
संघिया निवास गढ़वाल

संख्या ५३/१०८ :-

जाएके छार सुचना कालिकौर कालियिय के लाल यादी मधि
सुचना विद्युत निवास त्रै

विद्युत १:- उत्तर प्रदेश सरकार के सम्ब वर्ष १९८७-९० में ये
रभेग प्रारम्भिया अधिन सम्बाद इनी शिमाल काली के
मांस से याम रेखड़ी, चो-मध्य लाली शिमाल लाली
रेख ५३८० मध्ये तरन नाली ५०.०२० कृष्ण ६०.०० रुपये
वालिक लाली पर स्थित रम वे नवल हाली की ८.२८ लाली

विद्युत २:- उत्तर स्थित स्क नाली यूपी याम रेखड़ी, याम लाली
लाली शिमाल के लाली ६०.०० रुपये वाली लाली पर
लाली के लाली दशलोकी की नमक व रस्तमापन के
जांबिल के लाली के दशलोकी राजस्थ उपरिषद कालिया
में नहीं है, परन सुचना याम के ५०.०२.१ लाली वर्ष १४
शिमी १०८५ मध्ये के लाली के लाली के लाली के जारी है,

विद्युत ३:- उत्तर प्रदेश लाली मे श्री सोशा प्रारम्भिया अधिन ८५१५
प्रिया लाली गाली के नमक से रम है, दालियारीने त्रै

में लाली सुचना लाली मे नहीं है
विद्युत ४:- वाली मे लाली पर लिया लाली के लाली लाली

विद्युत ५:- उत्तर प्रदेश ६०.०० गाली लाली पर लाली लाली

जांबिल के लाली के लाली १५८३/८० गाली लाली है

विद्युत ६:- मुख्य उपयोग सम्बाद अन्न ५०.०० वर्ष १४ लाली

अन्न लाली लाली लाली के लाली ५०.०० वर्ष १४ लाली

मध्ये लाली मे लाली लाली है

उत्तर प्रदेश लाली लाली लाली
राजस्थ उपरिषद लाली लाली

गढ़वाल

लोक संघ उत्तर प्रदेश
प्रारम्भ २
५/१८८३ लाली

(८५)

जमाकर्ता कारी
Depositor Copy

क्रमांक	ट्रैकिंग एवं नम्बर से जमाकर्ता का नाम	ठेकाना	दरवाजा	दिनांक	संख्या
१	२	३	४	५	६
१	श्री रमेश प्रतापिल अमृत राजपाटड	गोपीनाथ पाटड	१५०००/-	१५०००/-	१५०००/-
२	नाना	यात्रा विहार			
३	पर्वती	देव देवाली			
४	रमेश	देव देवाली			
५	रमेश	देव देवाली			
६	रमेश	देव देवाली			
	- 2 JUN 1990		१५०००/-	१५०००/-	१५०००/-

ट्रैकिंग एवं नम्बर से जमाकर्ता का नाम

३१/५/९०

वंगार

मूलि प्रबन्ध वायोलिय
पोडी गडवाल

(21)

~~आरपिस्टे नक - वृत्ति~~

जमाकर्ता कापी
Depositor Copy

1	2	3	4	5	6
रुपये	पैसा	रुपये	पैसा	रुपये	पैसा

- 2 JUN 1997

५० राम नायक शर्मा

तहसीलदार

प्रवान्ध वयस्य
गोडी पदवाल

22

संस्कृत नाटकियों का ग्रन्थालय।
संख्या - ३१८ / ३०२/१८० - ७० दिसंबर १९९४

卷之六

二

विषय। श्री-प्रधान सम्पादक संसाक्षणा कानूनिकी के
भृत्यर लाभही लगात हुए वास्तविक पर्याप्तता की
जबलपुर राज्य देश के अधीन इनी

१० विजयनगर राजवंश

प्रधान लगावे समिक्षा करो दो,
एकलीकिले १५००] गरजा जाए तरी, गरा
उचित रुपी रुपी रुपी रुपी रुपी रुपी रुपी
देख अपनी गहनी बहुत बहुत बहुत
प्रधान लगावे समिक्षा करो दो,

卷之三

मध्यपात्र -

સુપ્રાતિ નાનાં રૂપદી પ્રથમાંથે લાખાડી

丁巳年夏月
王文增

1-6-90

१२५ निवासी १८६० ग्रन्थालय
पाठ्य संग्रहालय ३१०९१३
मुमिन पर्वती अवलोकन
प्रभाती अवलोकन

(मूर्म प्रदेश नामावली
परेको ग्रन्थालय

(मा.)

-2-

देने की तिथि ते एक वर्ष अन्दर करना अनिवार्य होगा। परंगतापिलारी, बारहसूर्य आषेदक द्वारा नजराने की पनराशि जमा होने पर उपरोक्तानुसार पदटा भरवायें एवं अप्लदराभद आदि की लार्यवाही सुनिश्चित होगी। नजराने की राशि जमा होने पर नजराने के अनुत्तर पदटा निर्गत किया जायेगा एवं तदनुसार भूमि का रुक्षा भी आषेदक को दिया जायेगा।

मा.

१५ जैलश शृण्प
जिला अधिकारी, गदवाल।

(मा.)

नदीलिलार, योङ्गी

मा. फिल्ड न्याय पद व्यवस्था
नजराना जिस द्वेने के प्रभाव
पृथ्ये हुयामुक्तव्यान्दर सभी
सांपचारकालीन के उपरान्त
प्रावस्त्री उरन्त अस्तुत द्वारा

परंगतापिलारी,
(मा.) योङ्गी

२६/५/१०

द्वारा ५ दिसम्बर

३१/१०/१०

पृष्ठ - ८
भूमि प्रवास क योग्य
पीडा गदवाल

र. का.
कृष्णी छोड़ना कियो

शृण्प मे.

०५०५५५
२६/५/१०

पंजीकृत

प्रपत्र-10

// कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / बरिंप्रशासनियम 0अधिनियम 2005 तहसील कोटद्वार //
संख्या- 65/2013-लो०सू०अ०- दिनांक कोटद्वार अगस्त 14 ,2013

श्री हर्ष रत्नडी,
निवासी 130/77 कालीदास मार्ग,
देहरादून-248001

बिषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का प्रेषण ।

उपरोक्त बिषयक आप द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र जो कि लोक सूचना अधिकारी / बरिंप्रशासनियम 0अधिनियम, जिला कार्यालय पौडी गढवाल के पत्र सं०-48/2013-14 दिनांक 23जुलाई, 2013 से इस कार्यालय को दिनांक 23-7-2013 को प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लिखित विन्दु के संबंध में तहसील कार्यालय कोटद्वार में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो द्वितीय से प्राप्त की गई। रजिस्ट्रार कानूनगो से प्राप्त सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:-

विन्दु सं०-1 विन्दु सं०-1 के संबंध में अवगत कराना है कि तहसील कोटद्वार अन्तर्गत ग्राम खूनीबड़ पट्टी मोटाढांक के आर-6 पंजिका वर्ष 1991 से 95 तक में नव राह नई चेतना संस्थान जनपद पौडी गढवाल के नाम ग्राम खूनीबड़ के खसरा संख्या-134 मध्ये 0.43 एकड़ एवं खाता संख्या-52 के खसरा नम्बर- 133मध्ये 0.57एकड़ कुल एक एकड़(20नाली) भूमि दर्ज है, जिसमें किसी राजनेता के नाम का उल्लेख नहीं है।

विन्दु सं०-2 विन्दु सं०-2 के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम खूनीबड़ पट्टी मोटाढांक जिलाधिकारी महोदय गढवाल के आदेश सं०-1445/7-63(91-92) दिनांक भूलेख 23-9-92 एवं संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ अनुभाग-4, पत्र सं०-143/8/90(153), रा-4, दिनांक 9अप्रैल, 1992 के द्वारा नवराह नई चेतना संस्थान जनपद पौडी गढवाल के नाम बिना नजराना के 1200-00वार्षिक भू-कर स्वीकृत की गई है। यह भी अवगत कराना है कि संस्था की ओर से सरकारी भूमि आंबटन हेतु प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र से अंतिम आंबटन प्रक्रिया तक के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

विन्दु सं०-3 विन्दु संख्या-3 से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

विन्दु सं०-4 तदविषयक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

1- इस विन्दु के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

2- अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असन्तुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता

श्री बेदपालसिंह

तहसीलदार

कोटद्वार ।

लोक सू०अ०थ०/ बरिंप्रशासनियम 0अधिनियम,
तहसील कोटद्वार ।
लोक सू०अ०थ०/ बरिंप्रशासनियम 0अधिनियम,
तहसील कोटद्वार ।

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

भारत

TEN
RUPEES
RS. 10

INDIA

A NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड राज्य
(एन्जिलियन)

शपथपत्र

20AA 150322

ममुक्षुः— उप निबन्धक, फर्म, सोसाइटीज एवं चिट्स, पौड़ी गढ़वाल।
 25 APR 2013 शपथपत्र आर से कु ० आरुषि पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल ३७/१,

मिन्त रामेशनाथ दगोर मार्ग, विजय कॉलोनी, जिला देहरादून।

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि :-

1. यह कि मैं समिति नई चेतना संस्थान की अध्यक्षा हूँ।
2. यह कि संलग्न सूची में दिये गये प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम व पते सही हैं।
3. यह कि समिति भविष्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 4(1) का

कानून करेगी।

यह कि समिति की प्रबन्ध समिति में युनाय सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है और

विवाद पाया जाता है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार

समिति को अभी तक किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया



मैं उपरोक्त शपथकर्ता बयान करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं। इसका लिखा कराया गया है और कोई भी गलत जानकारी आदि नहीं दिया गया है। दिनांक 27-04-2013 को स्थान देहरादून, उत्तराखण्ड

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.

27/4/13 *Urmila Bhatri*
हस्ताक्षर शपथकर्ता

(26)

(A)

नई घेताना संस्थान
पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड
जिला पौडी गढ़वाल

समिति की वार्षिक बैठक का विवरण

दिनांक 03 मार्च 2010 को समिति नई घेताना संस्थान की वार्षिक बैठक समिति के रजिस्टर्ड कार्यालय पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड जिला पौडी गढ़वाल में की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. कु० आरपि पोखरियाल | 2. श्री डा० श्यामधर तिवारी | 3. श्रीमती कुसुम कान्ता |
| 4. श्री विनोद भौटियाल | 5. श्री गिरीराज शर्मा | 6. श्री शशीकान्त |
| 7. सुश्री लक्ष्मी कान्ता | 8. श्री राम धन्द्र | 9. श्री अनिल कुमार |
| 10. श्री आकाश बछेती | 11. श्री मनोज | 12. श्री जयदेव सुन्दरियाल |
| 13. श्री सर्वेश उनियाल | | |

बैठक का एजेन्डा -

1. नई कार्यकारिणी का शुभाव।
2. दयनित कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों का शुभाव।

प्रस्ताव सं० १

पिछली कार्यवाही सभी सदस्यों को सुनायी गयी जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया।

प्रस्ताव सं० २

कु० आरपि पोखरियाल जी द्वारा सभी सदस्यों को पिछले वर्ष में हुई प्रगति को पढ़कर सुनाया गया तथा नई कार्यकारिणी सदस्यों के नामों हेतु हेतु आमंत्रण किया गया।

कु० आरपि पोखरियाल जी द्वारा यह बताया गया कि कुछ सदस्य श्री श्यामधर तिवारी, श्रीमती कुसुम कान्ता, श्री राम धन्द्र एवं अनिल कुमार समिति को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री आकाश बछेती, मनोज, जयदेव सुन्दरियाल एवं सर्वेश उनियाल जी को साधारण सदस्य बनाते हुए कार्यकारिणी का शुभाव किया जाये।

अतः कार्यकारिणी सदस्यों में पदाधिकारियों हेतु श्रीमती कुसुम कान्ता जी द्वारा सचिव पद हेतु श्री आकाश बछेती जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया जिसे श्री सर्वेश उनियाल जी द्वारा समर्थन दिया गया। अतः सर्वसम्मति से श्री आकाश बछेती जी को सचिव पद हेतु शुभा गया। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री जयदेव सुन्दरियाल जी द्वारा श्री गिरीराज शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया जिसे श्री आकाश बछेती जी द्वारा समर्थन दिया गया। अतः समिति के कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री गिरीराज शर्मा जी को शुभा गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री शशीकान्त पोखरियाल, श्री मनोज, श्री जयदेव सुन्दरियाल, श्री सर्वेश उनियाल, सुश्री लक्ष्मी कान्ता एवं श्री विनोद भौटियाल जी कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे।

सुविधा
R. Bhattcharya

R. Bhattcharya

B. P.

Subrata
Sarvesh
Anil

Amrit
Guru Ray
Shri Kant

२७

5

नई घेतना संस्थान
पोखरियाल भवन क्रेट्टर ऐड
जिला पौडी गढ़वाल

अतः समिति के प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारी घुने गये-

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. कृ० आरुषि पोखरियाल | - अध्यक्षा |
| 2. श्री आकाश यहेती | - सचिव |
| 3. श्री गिरीशराज शर्मा | - कोवाध्यक्ष |
| 4. श्री राशिकान्त पोखरियाल | - सदस्य |
| 5. श्री चनोज | - सदस्य |
| 6. श्री जयदेव सुन्दरियाल | - सदस्य |
| 7. श्री सर्वेश उनियाल | - सदस्य |
| 8. श्रीमी लक्ष्मी कान्ता | - सदस्य |
| 9. श्री दिनेश धौठियाल | - सदस्य |

सभी उपरिथित सदस्यों द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों को श्वाई दी गयी।

सभा अध्यक्षा कृ० आरुषि पोखरियाल जी द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया और सभा समाप्ति की घोषणा की गयी।

संस्था
जिला

Rachna

Brij
Sharma

Amrit
Gopal
Narayan

/

नवरात्र नई घेतना संस्थान
पोखरियाल भवन, कोटद्वार रोड
जिला पौड़ी गढ़वाल

(61)

नवरात्र नई घेतना संस्थान
पोखरियाल भवन, कोटद्वार रोड,
जिला पौड़ी गढ़वाल।

प्रबन्धकारिणी सदस्यों की सूची (वर्ष 2013-2014)

संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
01.	सुश्री आरुषि पोखरियाल	डा० रमेश पोखरियाल निराक	37/1 रविन्द्रनाथ टंगोर मार्ग, विजय कालोनी देहरादून।	नौकरी	अध्यक्ष
02.	श्री आकाश बहेती	श्री देवी प्रसाद बहेती	होली ऐंजल सीनिंग सेकेन्डरी स्कूल, ऐशन मार्जरी ऊईवाला, देहरादून।	नौकरी	सचिव
03.	श्री गिरीशराज शर्मा	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	मकान नं० 135 ग्राम काशी रामपुर ताहसील कोटद्वार।	नौकरी	फोषाध्यक्ष
04.	श्री शरीकाल पोखरियाल	श्री प्रभानन्द पोखरियाल	मकान नं० 78816 आवास विकास कालोनी वौरमद्र ब्रह्मपुर।	नौकरी	सदस्य
05.	श्री मनोज	श्री शरीकाल	70, मनु कुण, सिंधु नगर प्रेमनगर जिला देहरादून।	व्यापार	सदस्य
06.	श्री जयदेव सुन्दरियाल	श्री मंगल लाल सुन्दरियाल	52/2 टी स्टेट, कोलागढ रोड देहरादून।	व्यापार	सदस्य
07.	श्री सर्वेश उनियाल	श्री एम०एल० उनियाल	ग्वालियर, घमोली।	नौकरी	सदस्य
08.	सुश्री लक्ष्मी कान्ता	श्री कृष्ण	कान्ता भवन, श्रीनगर, गढ़वाल	अधिकारी	सदस्य
09.	श्री विनोद नौकरियाल	श्री गोविंदन प्रसाद	पावर हाउस के पीछे, पौड़ी गढ़वाल	दफ्तरालत	सदस्य

Ch. RA

Amulya

प्रभानन्द

Rachita

१९

मालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान

HIMALAYIYA AYURVEDIC YOG EVAM PRAKARTIK CHIKITSA SANSTHAN
SHAGUN PLAZA, BYPASS ROAD, SHYMPUR, DIST- DEHRADUN UTTARAKHAND,
PHONE NO. 0135-3200859

NAME OF MEMBERS OF THE GOVERNING BODY (2012-13)
(Executive Committee)

S.No	Name	Father/ Husband Name	Address	Occupation	Designation
1	Dr. Pradeep Kumar	Sh. Anand Swaroop Bhardwaj	E-107, Nehru Colony, Dehradun	Medical Educationist	Chairman
2	Smt. Rani Pant	Sh. V.K.Pant	51 A/304, Rajpur Road, Dalanwala, Dehradun	House Wife	Vice Chairman
3	Sh. Balkrishan Chamoli	Late Sh. Mani Ram Chamoli	Krishna Vihar, Smith Nagar, Post-Prem Nagar, Dehradun	Businessmen	Secretary
4	Km. Arushi	Dr. Ramesh Pokhriyal	31/1 Vijay Colony Ravindra Nath Tagore Marg Dehradun	Social Worker	Treasurer
5	Sh. Manoj Pokhriyal	Sh. Shashi Kant Pokhriyal	Subhash Nagar, Clement Town Dehradun	Journalist	Joint Secretary
6	Dr. Devesh Shukla	Sh. Rajesh Shukla	F-9/2164, Shastri Nagar, Gali No 1, Manjetha Road, Amritsar	Educationist	Member
7	Sh. T.P. Bhatt	Sh. P.D.Bhatt	Shyampur Rishikesh, Dehradun	Businessmen	Member

Sh. O.P.Bhatt
Ex-Member

Smt. Rachna Bhatt
Ex-Member

बोल्ड सूचना अधिकारी
बोल्ड कार्यालय
बोल्ड सोसाइटा एवं प्रिवेट
देहरादून

प्रेषक,

एन०एस०नपलचाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी,
देहरादून।

७/८/०५
२२/१

७/८/०५
२२/१०५

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक २२ जुलाई, ०५

विषय:- हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं चिकित्सा संस्थान को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय हेतु ऋषिकेश के ग्राम फटेहपुर डांडा में कुल ४.०४७ हेक्टेक्टर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आएके पत्र संख्या-१४६ / १२४-११८(२००२-०५) दिनांक २ जून, २००५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं चिकित्सा संस्थान को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय हेतु राजस्व अनुभाग-१ (उ०ए०शासन) के शासनादेश संख्या-५५८ / १६(१) / ७३-रा-१ दिनांक ९ मई, १९८४ तथा शासनादेश संख्या-१६९५ / ९७-१-१(६०) / ९३-रा-१ दिनांक १२-९-१९७ में दिये गये प्राविधानों में शिखिलता प्रदान करते हुये उनपर देहरादून की तहसील ऋषिकेश के ग्राम फटेहपुर डांडा के खसरा नं०-२४८ मि० रक्का २.५१० हेक्टर, खसरा नं०-२४७ मि० रक्का ०.४८६ हेक्टर एवं खसरा नं०-२४६ मि० रक्का १.०५१ हेक्टर का अर्थात् कुल ४.०४७ हेक्टर भूमि निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) [REDACTED]

(3)

[REDACTED]

प्रश्नगत भूमि पर्टेट्टा को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से साबृन्धित शासनादेश संख्या-१५० / १ / ८५(२१)- रा०-६ दिनांक ९ अक्टूबर, १९८७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नरेन्ट ग्रान्स एवं १८९५ के अधीन पट्टा प्रथमतः ३० घण्टों के लिए होगा और पट्टेटार के लिए दो बार

U M (2)

(३१)
अनुत्तरनका-

--2--

30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

- (4) पट्टेदार एवं उसके उत्तराधिकारियों को आवृत्ति भूमि में वंशानुगत अधिकार होगा। उत्तराधिकार पट्टेदार को लागू वैयक्तिक विविहारा नियन्त्रित होगा।
- (5) प्रश्नात भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए क्षा कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
- (6) यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो जाया हो, तो भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभा भारों से मुक्ता निहित हो जायेगी।
- (7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु सरव्या 1 से 6 तक में हो किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नात भूमि भव निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए क्षा कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०एन०प्र०त्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

- 1- एन०एस०एन०प्र०त्याल, देहरादून।
- 2- एन०एस०एन०प्र०त्याल, चंडीगढ़, उत्तरांचल शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- सचिव, हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सरथान श्रावणपुर, क्रष्णकेश, जिला देहरादून।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी० उत्तरांचल।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
प्रमुख सचिव।

BC
DR/107

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, उत्तराखण्ड-246174

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand)-246174

दूरभाष कार्यालय: 01346-250869

फैक्स: 01346-250869



सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

पत्रांक संख्या-हे०न०ब०ग०विवि०/सू०आ०प्र०/पत्रावली सं०: 454 / ८३७

दिनांक 02.08.2013

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(4) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र का हस्तान्तरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/उप-कुलसचिव परीक्षा
हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(4) के तहत अनुरोध पत्र का हस्तान्तरण।

श्री/ श्रीमती/ कु०/ डॉ०/ हर्ष रत्नौड़ी, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड के अनुरोध पत्र की प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि इस अनुरोध पत्र की समस्त सूचनायें आपके महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/परिसर/विभाग/अनुभाग से सम्बन्धित हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(4) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र की प्रति आपको हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/परिसर/विभाग/अनुभाग से सम्बन्धित विन्दुओं की वांछित सूचनायें अपने स्तर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

यदि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई दिन्दुओं की सूचनायें आपके अनुभाग से सम्बन्धित न हों तो सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान/संकाय/विभाग/अनुभाग को अनुरोध पत्र की प्रति हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

अनुरोधकर्ता को प्रेषित सूचना की एक प्रति सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- अनुरोध पत्र की छाया प्रति।

(डॉ० वाई०एस० फर्स्टाण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि-अनुरोधकर्ता श्री/ श्रीमती/ कु०/ डॉ०/ हर्ष रत्नौड़ी, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपका अनुरोध पत्र उक्त संस्थान/महाविद्यालय/परिसर/संकाय/विभाग/अनुभाग को सूचना प्रेषण हेतु हस्तानान्तरित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त महाविद्यालय/परिसर/संस्थान/संकाय/विभाग/अनुभाग से ही सम्पर्क करने का कष्ट करें। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय 30 दिनों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आप प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल-246174, उत्तराखण्ड को अपनी प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(डॉ० वाई०एस० फर्स्टाण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी

मंत्री नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, (उत्तराखण्ड) - 246174

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand)-246174

दूरभाष कार्यालय: 01346-250869,

फैक्स: 01346-250869,



सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

पत्रांक संख्या: हे०न०ब०ग०विभिन्न० / सू०अ०प्र० / ए-०००७६ / १०१८

दिनांक: 19.09.2013

सेवा में,

श्री हर्ष रत्नौड़ी
130/77, कालीदास मार्ग,
देहरादून।

महोदय,

आपके मूल अनुरोध पत्र दिनांक 30.07.2013 एवं अपीलीय पत्र दिनांक 06.09.2013 जो विश्वविद्यालय को कमशः दिनांक 02.08.2013 एवं 07.09.2013 को प्राप्त हुआ के कम में विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा आपके अपील पर पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि यदि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश के पश्चात भी निर्धारित समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आप केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका पता इस प्रकार है:- केन्द्रीय सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, चतुर्थ तल, क्लब बिल्डिंग, बेर सराय बाजार के सामने, पुराना जै०एन०य०० कैम्पस, नई दिल्ली-110067.

(एच०एम० अरोड़ा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / उप-कुलसचिव
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित लोक सूचना अधिकारियों को अपीलीय आदेश की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1. माननीय कुलपति महोदय, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
2. लोक सूचना अधिकारी / उप-कुलसचिव परीक्षा, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
3. गार्ड फाईल।

(एच०एम० अरोड़ा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / उप-कुलसचिव
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर,(उत्तराखण्ड)-246174

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand)-246174



दूरभाष कार्यालय: 01346-250869,

फैक्स: 01346-250869,

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

अपील संख्या: ए-00076 / 2013 /

अपीलकर्ता: श्री हर्ष रत्नौड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून।

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी/उप-कुलसचिव परीक्षा, हे०न०व० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल।

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अपील संख्या: ए-00076 की सुनवाई दिनांक 17.09.2013 को की गयी, जिसमें अपीलकर्ता श्री हर्ष रत्नौड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून अंनुरोधित रहे तथा लोक सूचना अधिकारी/उप-कुलसचिव परीक्षा, हे०न०व० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उपस्थित रहे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र दिनांक 30.07.2013 जो विश्वविद्यालय को दिनांक 02.08.2013 को प्राप्त हुआ के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/उप-कुलसचिव परीक्षा, हे०न०व० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय के पत्रांक: सू०अ०प्र०/454 / 2013/737 दिनांक 02.08.2013 के तहत हस्तानात्तरित किया गया था।

किन्तु लोक सूचना अधिकारी/उप-कुलसचिव परीक्षा, हे०न०व० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार सूचनायें प्राप्त न होने की दशा में अनुरोधकर्ता द्वारा दिनांक 06.09.2013 जो विश्वविद्यालय को दिनांक 07.09.2013 को प्राप्त हुआ के तहत अपीलीय पत्र प्रेषित किया गया।

अतः लोक सूचना अधिकारी/उप-कुलसचिव परीक्षा, हे०न०व० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र दिनांक 30.07.2013 के सापेक्ष समस्त देय वांछित सूचनायें अनुरोधकर्ता को अपीलीय आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस पत्र की एक प्रति माननीय कुलपति महोदय को भी प्रेषित की जाय।

प्र० (एम०एस०एम० रावत)
अपीलीय अधिकारी

दिनांक: 17, सितम्बर, 2013

Central Information Commission

Room No. 308, 2nd Floor, Bhikaji Cama Place,
August Kranti Bhawan, New Delhi - 110066
Website: cic.gov.in

Dated: 21/04/2014

File No. CJC/CPIO/CR/2014/0091

Shri Harsh Ratudi
130/77, Kalidas Marg
Dehradun - 248 001.

This has reference to letter no. CJC/CPIO/2014/562-H dated 31.03.2014 in connection with your RTI application. Information is given as under :

Your letter dtd 2.12.13 (Diarized in the Commission vide Diary No.189152/11.12.13) has been returned due to documentary deficiency and Letter dated 8.1.14 (Diarized in the Commission vide Diary No. 106299/24.1.14) was a reminder letter.

Your letter dated 27.1.14 (Diarized in the Commission vide Diary No. 110591/4.2.14) and letter dated 19.2.14 (Diarized in the Commission vide Diary No. 115815/24.2.14) are under scrutiny/process.

2. Appeal, if any, against above reply will lie to Sh. A.K. Dash, Additional Secretary & FAA, Central Information Commission, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066.


(Baljit Singh)
Deputy Registrar (CR)


Shri T K Mohapatra, CPIO for information.

Contd....2

*Note : It is to inform you that despite the order dated the 17th September, 2013 passed by the First Appellate Authority, NO RESPONSE/REPLY/communication received from the CPIO till today.

In view of the above, I humbly request your goodself to kindly accept my appeal.

Yours faithfully,



(Harsh Raturi)
130/77-Kalidas Marg
Dehradun-248001
Uttarakhand.

Date : 19th March, 2014

Enclosures : as stated above

37/नोट्सक - 6

Diary no(s) - 189152

CENTRAL INFORMATION COMMISSION

Room No. 306, Wing-B,
2nd Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066.
Tel : +91-11-26186536, Website : cic.gov.in

Dated: 04-02-2014

To,

MR. HARSH RATURI
130/77 - KALIDAS MARG
DEHRADUN - 248 001
UTTARAKHAND

Sub: Return of Appeal under Rule 9 read with Rule 8 of Right to Information Rules 2012 for removal of deficiency.

Madam/Sir,

This has a reference to letter dated 02-12-2013 diarized in the Commission as above diary number.

2. As per Rule 8 of the RTI Rules, 2012, following documents are required to be submitted before the Commission for the purpose of registration of second appeal:-

- i. A copy of the RTI application submitted to the CPIO;
- ii. A copy of the reply given by CPIO, if any;
- iii. A copy of the first appeal made before the First Appellate Authority;
- iv. A copy of the order passed by First Appellate Authority, if any;
- v. Copies of the other documents relied upon and referred to in second appeal by appellant;
- vi. An index of the documents referred to in the second appeal;
- vii. Each of the pages of Second appeal and documents attached with second appeal should be legible in Hindi or English, duly self-attested, authenticated and verified.

3. If appeal is not accompanied with legible, self-attested, authenticated and verified copies of the documents prescribed in Rule 8, same is liable to be returned as per Rule 9 of the RTI Rules, 2012.

4. On scrutiny of the documents submitted by you, it appears that the document(s) tick marked in para-1 have not been submitted by you.

5. You are therefore, required to re-submit your second appeal as per Rule 8 of the RTI Rules, 2012 as explained in para-1 hereinabove.

6. While re-submitting second appeal, take notice of following, if applicable:

- a. Do not attach any postal order, as the same is not required.
- b. Attach delay condonation application, if appeal is filed beyond 90 days from the date of FAA order.
- c. Specify clearly whether or not, any response is given by CPIO or FAA.

Encl: As above

BALJIT SINGH
Dy. Registrar (Central Registry)

DE